राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक– प–19 (1) ( ) निमअ०/सा०पु०/2016/19172 जयपुर, दिनांक– 14/9/2016

–:आदेश:–

राज्य–स्तर पर दिये जाने वाले सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार का विस्तार करते हुए राज्य सरकार द्वारा और अधिक साथिनों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वश्रेष्ठ साथिन का प्रत्येक जिला–स्तर पर भी चयन कर 11,000/–रू. एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है साथ ही राज्य स्तर पर चयनित सवश्रेष्ठ साथिन को अब 21,000/–रू. एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जावेगा ।

सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार हेतु राजस्थान राज्य में कार्यरत वे सभी साथिनें पात्र हैं जो कम से कम 05 वर्ष से साथिन के पद पर कार्य कर रही हैं । इस पुरस्कार के चयन का आधार निम्न–प्रकार रहेगा–

- कार्यक्षमता एवं महिलाओं में समझ विकसित करने की कला का होना ।
- सृजनात्मक कार्य करना ।
- बाल विवाह रोकथाम के प्रयास ।
- साथिन अपनी साप्ताहिक गतिविधियां नियिमित रूप से आयोजित कर रही हो ।
- ब्लॉक–स्तर पर आयोजित मासिक बैठक में नियमित उपस्थिति ।
- महिलाओं को विभागीय योजनाओं की जनकारी देना एवं उनसे जोडना । महिला उत्पीडन संबंधी प्रकरणों को जिला महिला सहायता समिति एवं महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र तक पहुचाना ।
- स्वयं सहायता समूह का गठन एवं केडिट लिंकेज व समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोडना ।
- महिलाओं को रोजगार से जोड़ना ।
- किशोरियों की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराने हेतु जानकारी देना ।
- बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देना ।
- पूर्व में यदि कोई प्रमाण–पत्र एवं प्रशंसा–पत्र मिला हो ।

प्राप्त आवेदन–पत्रों में से सर्वश्रेष्ठ साथिन का चयन/नामांकन करने हेतु जिला–स्तर पर कार्यकम अधिकारी,महिला अधिकारिता की अध्यक्षता में निम्नलिखित चयन समिति प्रतिस्थापित की जाती है–

– कार्यकम अधिकारी,महिला अधिकारिता	–	अध्यक्ष
–बाल विकास परियोजना अधिकारी (जिला मुख्यालय का एक)	–	सदस्य
–प्रचेता (जिला मुख्यालय का एक)	–	सदस्य

राज्य स्तर पर दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार हेतु जिलों से प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव कार्यक्रम अधिकारी,महिला अधिकारिता की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त चयन समिति की अभिशंषा से प्राप्त होंगे ।

इस प्रकार प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों में से एक सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार के राज्य स्तर पर चयन/नामांकन हेतु आयुक्त,महिला अधिकारिता की अध्यक्षता में निम्नलिखित चयन समिति प्रतिस्थापित की जाती है–

– आयुक्त, महिला अधिकारिता	– अध्यक्ष
– अति0निदेशक,महिला अधिकारिता	– सदस्य
– अति0निदेशक,एसएचजी,म0अ0	– सदस्य
– कार्यक्रम निदेशक,मुख्यालय,म0अ0	– सदस्य सचिव

S/d
(ऋचा खोड़ा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांक– प–19 (1) ( ) निमअ0/सा0पु0/2016 /19173 – 245 जयपुर, दिनांक– 14.9.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

10. विशिष्ट सहायक,मान0राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग,राज0जयपुर
11. निजी सहायक,शासन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0जयपुर
12. निजी सहायक,आयुक्त,महिला अधिकारिता, राज0जयपुर
13. अति0निदेशक,महिला अधिकारिता
14. अति0निदेशक,एस0एच0जी0,म0अ0
15. कार्यक्रम निदेशक,मुख्यालय,म0अ0
16. वित्तीय सलाहकार,महिला अधिकारिता
17. कार्यक्रम अधिकारी,महिला अधिकारिता, समस्त
18. बाल विकास परियोजना अधिकारी,जिला मुख्यालय,समस्त

(डा0कमलिनी द्रविड)
कार्यक्रम निदेशक(मुख्यालय)
महिला अधिकारिता, जयपुर